महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

17-3/2026(प्र/वि)/मसारावेविप्र/215 दिनांक/Date: 14.08.2026

कार्यालय परिपत्र/OFFICE CIRCULAR

विषय : उपहार, धनराशि, पारितोषिक अथवा किसी अन्य अवैध ग्रैटिफिकेशन स्वीकार/प्रदान न करने तथा अफवाह एवं भ्रामक सूचना प्रसारित न करने के संबंध में।

Sub : Prohibition on giving/accepting Gifts, Money, Rewards or any other illegal Gratification and caution against spreading Rumours/Misinformation-reg.

यह एतद्वारा सूचित किया जाता है कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,उज्जैन में कार्यरत सभी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी एवं अन्य कार्मिक अपने-अपने निर्धारित पद एवं दायित्वों के अनुसार, प्रयोज्य नियमों, विनियमों एवं प्रतिष्ठान के आदेशों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सभी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, पूर्ण पारदर्शिता एवं संस्थागत मर्यादा एवं सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं।

It is hereby informed that all officers, teachers, employees and other personnel appointed/engaged at the Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain, discharge their duties in accordance with their respective posts and assigned responsibilities, and in consonance with the applicable rules, regulations and orders of the Pratishthan. All of them perform their duties with utmost dedication, integrity, impartiality, complete transparency, and due regard for institutional propriety and integrity.

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिष्ठान के किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी अथवा किसी अन्य कार्मिक से किसी भी शासकीय/संस्थागत कार्य को करवाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का उपहार, धनराशि, पारितोषिक अथवा अन्य कोई लाभ नहीं दिया जाए। सभी कार्य निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाते हैं।

It is clarified that any kind of gift, money, reward, or any other benefit shall NOT be given to any officer, teacher, employee, or any other personnel of the Pratishthan for the purpose of getting any official/institutional work done. All work is carried out in accordance with the prescribed rules and procedures.

अतः सभी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी एवं अन्य कार्मिकों को सख्ती से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का उपहार, धनराशि, पारितोषिक, ग्रैटिफिकेशन, अथवा अन्य कोई वस्तु, सुविधा अथवा लाभ (नकद अथवा वस्तु के रूप में), प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार न करें।

इसी प्रकार, समस्त विद्यार्थियों, माता-पिता/अभिभावकों, आगन्तुकों एवं आमजन को स्पष्ट रूप से सावधान किया जाता है कि वे प्रतिष्ठान के किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी अथवा अन्य कार्मिक को कोई उपहार, धनराशि, पारितोषिक, ग्रैटिफिकेशन अथवा किसी भी प्रकार की वस्तु अथवा लाभ, नकद अथवा वस्तु के रूप में, न दें, न देने की पेशकश करें और न ही देने का प्रयास करें। ऐसी कोई भी वस्तु प्रतिष्ठान में किसी के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

14/8/2026

Therefore, all officers, teachers, employees and other personnel are strictly directed not to directly or indirectly accept any Gift, Money, Reward, Gratification, or any other article, facility or benefit (whether in cash or in kind) from any person, in connection with the discharge of their official duties.

Similarly, all students, parents/guardians, visitors and public are expressly cautioned NOT to give, offer or attempt to give any Gift, Money, Reward, Gratification, or any other article or benefit, whether in cash or in kind, to any officer, teacher, employee or other personnel of the Pratishthan. No such offerings or benefits shall be accepted by anyone in the Pratishthan.

किसी अनुचित लाभ अथवा किसी कार्य में अवैध/गैर कानूनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा किसी अन्य दुरुद्देश्य से बाह्य व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी अथवा अन्य कार्मिक को उपहार, धनराशि, पारितोषिक, ग्रैटिफिकेशन अथवा किसी भी प्रकार का लाभ देना या देने का प्रयास करना अत्यंत गंभीर आपराधिक श्रेणी का कृत्य माना जाएगा। प्रकरण की प्रकृति एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा कृत्य प्रयोज्य विधि के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आ सकता है तथा पुलिस में शिकायत/प्रकरण दर्ज कराने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसी प्रकार, **यदि किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी अथवा अन्य कार्मिक द्वारा किसी प्रकार का उपहार, धनराशि, पारितोषिक अथवा अन्य अनुचित लाभ मांगे जाने अथवा स्वीकार किए जाने की जानकारी अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोज्य नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी** तथा, जहाँ लागू हो, प्रकरण दर्ज कराने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Any act by an external person of giving, or attempting to give, any Gift, Money, Reward, Gratification, or any other benefit to any officer, teacher, employee, or other personnel with the intention of obtaining any undue advantage or an illegal/unlawful benefit in connection with any work, or for any other improper purpose, will be viewed as an act in the category of very serious criminal offences. Depending on the nature of the case and the facts available, such an act may constitute an offence under the applicable law and may invite strict legal action, including lodging of a complaint/case with the police.

Similarly, **if any information comes to the notice of the undersigned regarding any officer, teacher, employee, or other personnel soliciting or accepting any Gift, Money, Reward, or any other undue benefit, then strict disciplinary action will be taken against the person concerned in accordance with the applicable rules** and, wherever applicable, strict legal action may also be initiated, including lodging of a complaint/case.

यदि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (MSRVVP) से सम्बद्ध किसी वेद पाठशाला/गु.शि.प इकाई में कोई अध्यापक अथवा गुरु प्रतिष्ठान के किसी एम्प्लॉई को किसी निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ देने या देने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे मानदेय के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

If any Teacher/Guru in any of the Veda Pathashalas/GSP Units affiliated to MSRVVP is found to have offered or attempted to offer undue benefits of any kind to any employee in the Pratishthan to influence any decision, financial assistance to him by way of honorarium will be discontinued forthwith.

14/8/2025

अफवाह एवं भ्रामक सूचना के संबंध में चेतावनी
Caution Against Rumours and Misinformation

अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों (Rumour mongers) को एतद्वारा कड़ाई से सावधान किया जाता है कि वे प्रतिष्ठान, उसके अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, निर्णयों, कार्यप्रणाली अथवा किसी अन्य संस्थागत विषय से संबंधित सुनी-सुनाई (Hearsay) , अपुष्ट, भ्रामक, मिथ्या अथवा गुमराह करने वाली सूचनाओं या कथनों का प्रसार न करें।

प्रतिष्ठान, उसके अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, निर्णयों अथवा कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी सूचना को बिना सत्यापन के मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित या साझा करना अनुचित माना जाएगा। **यदि कोई व्यक्ति भ्रामक सूचना, मिथ्या अथवा गलत सूचना फैलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

Rumour mongers are hereby strictly cautioned NOT to spread hearsay, unverified information, misinformation, false or misleading statements relating to the Pratishthan, its officers, teachers, employees, students, decisions, functioning or any other institutional matter.

Any information relating to the Pratishthan, its officers, teachers, employees, students, decisions or functioning, if disseminated or shared without verification, whether orally, in writing, through electronic means or via social media, will be considered inappropriate. **If any person is found disseminating misleading, false or incorrect information, strictest legal action will be taken against such person.**

प्रतिष्ठान के समस्त अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी एवं अन्य कार्मिक इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा अपने संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों, आगन्तुकों एवं आमजन को भी इन निर्देशों से अवगत कराएं।

उपर्युक्त सभी निर्देश प्रतिष्ठान के मुख्यालय/कार्यालयों, परीक्षा केन्द्रों, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों (RAVVs), प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वेद पाठशालाओं, गुरु-शिष्य परम्परा (GSP) इकाइयों तथा प्रतिष्ठान की ओर से निरीक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन अथवा अन्य शैक्षणिक/प्रशासनिक कार्य हेतु गठित अथवा भेजे गए सभी समितियों पर समान रूप से लागू होंगे।

All officers, teachers, employees and other personnel of the Pratishthan shall ensure strict compliance with these instructions and shall also bring these instructions to the notice of all students, parents, visitors and public, whom they may interact with.

The aforesaid instructions will apply equally to the Pratishthan's Headquarters/Offices, Examination Centres, Rashtriya Adarsh Veda Vidyalayas (RAVVs), Veda Pathshalas, GSP Units affiliated to the Pratishthan, and all committees constituted or deputed by the Pratishthan for inspection, supervision, evaluation or any other academic/administrative work.

अतः सभी संबंधितों से अपेक्षित है कि वे **सत्यनिष्ठा, शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, संस्थागत अनुशासन एवं आर्थिक शुचिता** के उच्चतम मानकों को बनाए रखें तथा प्रतिष्ठान की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। किसी भी व्यक्ति(यों) द्वारा किसी भी प्रकार के उपहार या लाभ अथवा अनावश्यक फेवर की पेशकश किए जाने पर उसे स्पष्टतः अस्वीकार करें।

14/8/2026

Therefore, all concerned are expected to maintain the highest standards of **integrity, probity, transparency, impartiality, accountability, institutional discipline, and financial probity** to extend full cooperation in preserving the dignity and good reputation of the Pratishthan. Any offer of any kind of gift, benefit, or undue favour made by any person(s) shall be expressly refused.

यह परिपत्र प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही एवं जनविश्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, जिसका सभी संबंधितों द्वारा निष्ठापूर्वक पालन किया जाए।

This circular is issued with the objective of ensuring transparency, integrity, accountability, and public trust in the functioning of the Pratishthan which shall be scrupulously followed by all concerned.

नोट : बैग, बटुआ, मोबाइल फोन आदि को प्रतिष्ठान के अंदर लाना अथवा किसी अधिकारी/कर्मचारी के कक्ष में ले जाना पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसी वस्तुएँ प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बनाए गए गार्ड कक्ष में ही रखें।

Note : Bringing bags, wallets, mobile phones, etc. inside the Pratishthan or carrying them into the rooms of any officer/employee is strictly prohibited. Such items shall be kept only in the guard room at the main entrance of the Pratishthan.

14/8/2026

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्)
सचिव

प्रतिलिपि/Copy to :

1. प्रतिष्ठान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ।
   All officers and employees of the Pratishthan, for information and strict compliance.
2. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों के समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ।
   All teachers and employees of the RAVVs, for information and strict compliance.
3. प्रतिष्ठान से सम्बद्ध समस्त वित्तपोषित एवं वित्तविहीन वेद पाठशालाओं/गु.शि.प. इकाइयों को सूचनार्थ एवं उनके द्वारा कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
   For uploading on the website of the Pratishthan for information of and strict compliance by all financially aided and non-aided Veda Pathashalas/GSP Units affiliated to the Pratishthan.
4. जनसाधारण को सूचनार्थ।
   For information of the public.